भारत सरकार
खान मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2662
दिनांक 24.03.2025 को उत्तर देने के लिए

महत्वपूर्ण खनिजों के लिए रणनीतिक आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन

2662 श्रीमती संगीता यादव:

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) क्या सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी और घरेलू मूल्य श्रृंखला विकास के माध्यम से महत्वपूर्ण खनिजों को सुरक्षित करने के लिए एक रणनीतिक योजना विकसित की है;
(ख) यदि हां, तो आपूर्ति सुरक्षा के लिए भारत किन प्रमुख देशों और कंपनियों के साथ जुड़ रहा है;
(ग) देश के भीतर महत्वपूर्ण खनिजों के प्रसंस्करण और शोधन में निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए क्या प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं;
(घ) क्या सरकार 'विकसित भारत' के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में अन्य मंत्रालयों/नीति आयोग के साथ सक्रिय रूप से समन्वय कर रहा है; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

कोयला और खान मंत्री
(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) जी, हां। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 29 जनवरी, 2025 को राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन (एनसीएमएम) को मंजूरी दे दी है। एनसीएमएम का उद्देश्य महत्वपूर्ण खनिजों की दीर्घकालिक सतत आपूर्ति सुनिश्चित करना तथा खनिज गवेषण और खनन से लेकर सज्जीकरण, प्रसंस्करण एवं अंतिम उत्पादों से पुनर्प्राप्ति तक के सभी चरणों सहित भारत की महत्वपूर्ण खनिज मूल्य श्रृंखलाओं को मजबूत करना है। एनसीएमएम घटकों में 'घरेलू महत्वपूर्ण खनिज उत्पादन में वृद्धि' और 'विदेश में महत्वपूर्ण खनिज परिसंपत्तियों का अधिग्रहण' भी शामिल है।

(ख) विदेशी खनिज परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के लिए, खान मंत्रालय ने एक संयुक्त उद्यम कंपनी अर्थात खनिज बिदेश इंडिया लिमिटेड (काबिल) की स्थापना की है। काबिल ने अर्जेंटीना के कैटामार्का प्रांत के सरकारी स्वामित्व वाले उद्यम कैमयेन के साथ अर्जेंटीना में 15703 हेक्टेयर क्षेत्र में पांच लिथियम ब्राइन ब्लॉक के गवेषण और खनन के लिए एक गवेषण और विकास समझौते पर हस्ताक्षर किया है।

इसके अलावा, काबिल और क्रिटिकल मिनरल फैसिलिटेशन ऑफिस (सीएमएफओ), उद्योग, विज्ञान और संसाधन विभाग (डीआईएसईआर), ऑस्ट्रेलिया सरकार के बीच ऑस्ट्रेलिया की लिथियम और कोबाल्ट खनिज परिसंपत्तियों में संयुक्त रूप से जांच-पड़ताल करने और इसके अतिरिक्त संयुक्त निवेश करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(ग) एनसीएमएम में महत्वपूर्ण खनिज प्रसंस्करण पार्कों का प्रावधान है जिसके लिए 500 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान रखा गया है। इसके अलावा, पुनर्चक्रण के लिए 1500 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान भी किया गया है। इसके साथ, कौशल विकास और अनुसंधान एवं विकास कार्यकलाप समर्थन के लिए भी प्रावधान किए गए हैं।

(घ) और (ङ) जी, हां। एनसीएमएम के शासकीय ढांचे में मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता वाली एक अधिकार प्राप्त समिति शामिल है, जिसके सदस्य नीति आयोग के सीईओ और अन्य हितधारक मंत्रालयों के सचिव हैं।
